न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 12/2017 G.C.M.S. No. 2017/00077 दर्ज दिनांक : 22.02.2017

अपीलार्थी:

1. मंगलसिंह पुत्र भीमसिंह
2. मनोहरसिंह पुत्र छतरसिंह
3. परबतसिंह पुत्र छतरसिंह
4. पीरसिंह पुत्र छतरसिंह, तमाम अकवाम राजपूत, निवासीगण बिसलपुर, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नाथुसिंह पुत्र रामसिंह
2. विक्रमसिंह पुत्र रामसिंह
3. मोतीसिंह पुत्र रामसिंह
4. उमा कंवर पुत्री रामसिंह
5. ममता कंवर पुत्री रामसिंह
6. वचना कंवर बेवा रामसिंह
7. लक्ष्मणसिंह पुत्र गुणीय
8. मोहनी पत्नि जयसिंह
9. शैतानसिंह पुत्र बद्रीसिंह
10. सरोजदेवी पत्नि अजीतसिंह, जातिगण रावणा राजपूत, निवासीगण बिसलपुर, तहसील बाली व जिला पाली।
11. गोविंदसिंह पुत्र छतरसिंह
12. धाकसिंह पुत्र छतरसिंह
13. राजुसिंह पुत्र छतरसिंह
14. भंवरकंवर पत्नि मोतीसिंह
15. शोभा कंवर पुत्र मोतीसिंह
16. लक्ष्मणसिंह पुत्र मोतीसिंह
17. पीरसिंह पुत्र अमरसिंह
18. रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह
19. शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह
20. दलपतसिंह पुत्र भंवरसिंह
21. गुलाबसिंह पुत्र भंवरसिंह
22. इन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
23. परबतसिंह पुत्र छतरसिंह
24. शिम्बुसिंह पुत्र मेघसिंह
25. हुकमसिंह पुत्र रूपसिंह, तमाम अकवाम राजपूत, निवासीगण बिसलपुर, तहसील बाली व जिला पाली। (रेस्पोंडेंट संख्या 11 से 25 तक तक)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा रा.वि.स.एफ12(3)राज./रास्ता/2016/1246 बअनवान नाथुसिंह बनाम

मंगलसिंह में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, श्री विक्रमसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 24.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा रा.वि.स.एफ12(3)राज./रास्ता/2016/1246 बअनवान नाथुसिंह बनाम मंगलसिंह में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 10 से अपीलान्ट व अन्य रेस्पोंडेन्ट संख्या 11 से 25 के विरूद्ध स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या में 612 व 613 में आवागमन हेतु रास्ते की मांग करते हुए अपीलान्ट्स की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 631 व 467 में नया रास्ता का आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (क) का पेश किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर रास्ता 1304 वर्गमीटर का देने का आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में दक्षिण की मुख्य सड़क के चिपते उत्तर की तरफ खसरा संख्या 646 है, इस खसरे के चिपते उत्तर में खसरा संख्या 632 स्थित है। खसरा संख्या 632 के चिपते उत्तर में खसरा संख्या 613 स्थित है। खसरा संख्या 613 व 612 के खातेदार द्वारा रास्ता चाहा गया है। जो रास्ता खसरा संख्या 646 व 32 के बट्टा संख्या 632/2521 व 632/2327 में आवेदनकर्ता के पास पूर्व से उपलब्ध है व इस रास्ते का उपयोग व उपभोग रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 10 करते आ रहे हैं। रेस्पोंडेन्ट के पास विकल्प उपलब्ध है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा अपना जवाब पेश किया था व रास्ता उपलब्ध होने व आवागमन होना बताया गया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया व इस विकल्प के रास्ते के संबंध में खण्डनात्मक साक्ष्य भी नहीं आई। इस कारण नया रास्ता खसरा संख्या 631 व 647 में दिया गया है। माफिक कानून रास्ता सहज छोटा उपलब्ध करवाया जाना कानूनी मंशा है। प्रथमतः रास्ता उपलब्ध है, मुख्य सड़क तक मिलता है व कम खर्चीला नया रास्ता खसरा संख्या 632 के पूर्व की तरफ खसरा संख्या 633, 633/2388, 645, 645/2359 में कम लम्बाई का, कम खर्चीला सीधा व सुलभ प्राप्त किया जा सकता था व इन खसरों की लम्बाई मुख्य सड़क तक 160 गट्टा ही है। परन्तु जानबूझकर अपीलान्ट को क्षति पहुंचाने की नियत से खसरा संख्या 631 व 647 तो 245 गट्टा लम्बा रास्ता है। इसकी रेस्पोंडेन्ट द्वारा मांग की गई व तथ्यों की बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी बाली

Scanned with OKEN Scanner

जांच किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 05.06.2015 की पेश की है, यह विधि अनुसार व मौके की स्थिति अनुसार रिपोर्ट सही नहीं है। रास्ता व सुलभ रास्ता और सम्भव हों, इसकी जांच नहीं की। रेवेन्यू रेकर्ड में खसरा संख्या 632/2527 व 632/2521 गैर मुमकिन रास्ता उपलब्ध था। इन तथ्यों को तहसीलदार द्वारा छिपा कर रिपोर्ट पेश की गई। रेस्पोंडेन्ट के साथ व खसरा संख्या 632 के व्यक्तियों के साथ दुर्भिसंधि तहसीलदार की थीं। इस कारण गलत रिपोर्ट पेश की गई। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। रास्ता उपलब्ध है या नहीं, इस बाबत साक्ष्य पेश नहीं हुई। अपीलान्ट द्वारा जो साक्ष्य व जवाब पेश किया गया, इसकी रिबटल साक्ष्य पत्रावली पर नहीं थीं। प्रकरण प्रार्थी ने साबित नहीं किया। माफिक नियमों के प्रकरण की सुनवाई नहीं हुई, कानून की पालना नहीं की गई। रास्ते बाबत् नक्शा 632 का पूर्व से तरमीमशुदा है। प्रकरण में आदेश दिनांक 27.09.2016 को सुनाया जाना फैसले में हाथ से दर्ज किया गया है। अक्टूबर तक निर्णय नहीं सुनाया गया था। बार-बार प्रार्थी द्वारा चक्कर काटे गये, परन्तु तवज्जो नहीं दी गई। दिनांक 15.11.2016 को यह जानकारी हुई कि फैसला किया जा चुका है तब प्रार्थी बाली आये व दिनांक 28.11.2016 को नकल हेतु आवेदन पेश किया, नकल दिनांक 29.11.2016 को प्राप्त हुई। जानकारी से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 10 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध ग्राम बिसलपुर में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 612 व 613 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2016 द्वारा स्वीकार कर खसरा संख्या 631 व 647 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 27.01.2017 को प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में आदेश दिनांक 27.09.2016 को सुनाया जाना फैसले में हाथ से दर्ज किया गया है। अक्टूबर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

तक निर्णय नहीं सुनाया गया था। बार–बार प्रार्थी द्वारा चक्कर काटे गये, परन्तु तवज्जो नहीं दी गई। दिनांक 15.11.2016 को यह जानकारी हुई कि फैसला किया जा चुका है तब प्रार्थी बाली आये व दिनांक 28.11.2016 को नकल हेतु आवेदन पेश किया, नकल दिनांक 29.11.2016 को प्राप्त हुई। जानकारी से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही से होना जाहिर नहीं हैं। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु दिनांक 31.07.2014 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 631 में से रास्ते की मांग की गई हैं। अर्थात खसरा संख्या 647 में से रास्ते की मांग नहीं की गई हैं। प्रकरण में भू.अ.नि. बिसलपुर द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार की गई। उक्त जांच रिपोर्ट में भू.अ.नि. द्वारा खसरा संख्या 631 व 647 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया तथा यह अंकन किया गया कि आवेदक द्वारा खसरा संख्या 647 में से भी रास्ता दिया जाने हेतु मौके पर ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया, के आधार पर खसरा संख्या 647 में से रास्ता भी प्रस्तावित किया गया है। पत्रावली पर प्रार्थी की ओर से भू.अ.नि. बिसलपुर को संबोधित प्रार्थना पत्र उपलब्ध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण से संशोधित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया गया एवं न ही प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जबकि खसरा संख्या 647 भी प्रभावित आराजी है। यह भी उल्लेखनीय है कि भू.अ.नि. बिसलपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व प्रभावित खातेदारान को सूचित नहीं किया गया एवं न ही इस संबंध में जांच प्रतिवेदन में कोई अंकन किया गया है। अतः स्पष्ट है कि भू.अ.नि. द्वारा प्रभावित खातेदारान को सूचित किए बिना जांच प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल नक्शा किश्तवार व जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू. अ.नि. द्वारा खसरा संख्या 613 तक पहुंच के लिए एकमात्र विकल्प खसरा संख्या 631 व 647 की पूर्वी सीमा के सहारे प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प प्रस्तावित नहीं किया गया है। जबकि मूल खसरा संख्या 632 से बनी आराजी में से

राजस्व अपील प्राधिकारी

निकटतम दूरी का विकल्प हो सकता था। जो प्रस्तावित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंच के लिए निकटतम दूरी के विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। लेकिन धारा 251–क के प्रकरणों में निकटतम दूरी के विकल्प को स्वीकृत किया जाना आज्ञापक है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दूषित होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा रा.वि.स.एफ12(3)राज./रास्ता/2016/1246 बअनवान नाथुसिंह बनाम मंगलसिंह में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को ज़रिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इज़लास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner